



कार्यालय

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखण्ड)

(जिला भू-अर्जन शाखा)

ग्राम सभा हेतु

—:आम सूचना:—

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि गोड़माला बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के निमित्त निर्माण परियोजना हेतु मौजा-गोड़माला, थाना नं०-24, अंचल-मसलिया में WTP निर्माण हेतु 0.40 एकड़, मौजा- मुर्गाथोल, थाना नं०-19, अंचल-मसलिया में ESR-I निर्माण हेतु कुल 0.134 एकड़ एवं मौजा-गड़द्वारा, थाना नं०-15, अंचल-मसलिया में ESR-II निर्माण हेतु कुल 0.134 एकड़ रैयती भूमि अर्जन हेतु कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, संख्या- 02, दुमका के द्वारा अधियाचना प्रस्ताव समर्पित किया गया है। *The Right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement act, 2013* की धारा-41 के अन्तर्गत पेसा एक्ट 1996 के अनुपालन में प्रभावित रैयतों से विचार विमर्श हेतु ग्राम सभा की बैठक निर्धारित की गई है।

क्र०	अंचल	संबंधित ग्राम का नाम	ग्राम सभा हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी	ग्राम सभा का स्थल	ग्राम सभा हेतु निर्धारित तिथि	ग्राम सभा हेतु निर्धारित समय
1.	मसलिया	गोड़माला, थाना नं०-24 मुर्गाथोल, थाना नं०-19 गड़द्वारा, थाना नं०-15	1. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका। 2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मसलिया। 3. अंचल अधिकारी, मसलिया। 4. कार्यपालक अभियन्ता, पेय जल एवं स्वच्छता प्रमण्डल-2, दुमका	पंचायत सभल दण्डाधिकारी	13-07-20	11-30

परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों से अनुरोध है कि उक्त ग्राम सभा में उपस्थित होकर परियोजना के संदर्भ में अपने विचार रखने का कष्ट करेंगे। साथ ही सभा स्थल पर COVID-19 के संक्रमण को देखते हुए सामाजिक दूरी बनाये रखने का कष्ट करेंगे।

उपायुक्त,
दुमका।
20/6/2020

ज्ञापांक- 214 / जि०भू०अ०, दुमका दिनांक- 20/6/20

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को उक्त ग्राम सभा हेतु आम सूचना की प्रति जिले के दो अलग-अलग अखबारों में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को जिले के वेबसाईट में ग्राम सभा हेतु आम सूचना की प्रति अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
दुमका।
20/6/2020